सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-3/2019/1285/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक-20 नवम्बर, 2019**

विषय:- मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन व संसदीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन व संसदीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में जारी किये गये पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में विधान सभा उत्तर प्रदेश की एक **"संसदीय अनुश्रवण समिति"** का गठन किया गया है, जिसके पदेन अध्यक्ष मा0 अध्यक्ष, विधान सभा है। उक्त समिति द्वारा मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होने पर यह निर्देश दिये गये कि उपरोक्त के संबंध में जारी शासनादेशों का पालन न करने की दशा में समिति की ओर से प्रकरण संसदीय कार्य विभाग को संदर्भित किये जायेंगे। संसदीय कार्य विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण एवं विभागाध्यक्ष से समुचित कार्यवाही की अपेक्षा करते हुए अपनी टिप्पणी इस समिति के समक्ष प्रस्तावित दण्ड/कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपने स्तर से उक्त आदेशों व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

1- सं0-2586/79-सं-1-2007-66सं/1988, दि0 14 नवम्बर, 2007
2- सं0-275/79-सं-1-2008-10सं/2008, दि0 06 फरवरी, 2008
3- सं0-1483/79-सं-1-2008-66सं/1988 दि0 30 मई, 2008
4- सं0-2383/79-सं-1-2008-109सं/2008 दि0 21 अक्टूबर, 2008
5- सं0-585/79-सं-1-2009-24सं/2009, दि0 31 मार्च, 2009
6- सं0-762/79-सं-1-2009-66-सं/1988, दि0 28 मई, 2009
7- सं0-643 /79-सं-1-2009-28सं/2009, दि0 18 जून, 2009
8- सं0-545/90-सं-1-2011-38सं/2011, दि0 11 मई, 2011
9- सं0-602/90-सं-1-2011-43सं/2011, दि0 25 मई, 2011
10- सं0-1147/90-सं-1-2012-66सं/1988, दि0 12 अक्टूबर,2012
11- सं0-608/90-सं-1-2013-66सं/1988, दि0 10 मई, 2013
12- सं0-1223/90-सं-1-2013-14सं/2013 दि0 25 सितम्बर,2013
13- सं0-1541/90-सं-1-2013-66सं/2013, दि0 31 दिसम्बर, 2013
14- सं0-1173/90-सं-1-2014-70सं/84 दि0 25 अगस्त, 2014
15- सं0-214/90-सं0शि0प0का/2015-02संशि/2015,दि0 15-9-2015
16- सं0-831/90-सं0शि0प0का/2016-02संशि/2015,दि0 28-10-2016
17- सं0-478/90-सं0शि0प0का/2017-02संशि/2015,दि0 19-09-2017
18- सं0-555/90-सं0शि0प0का/2017-02संशि/2015,दि0 18-10-2017
19- सं0-1155/90-सं0शि0प0का/2019-02संशि/2015,दि0 22-10-2019

अत: अपेक्षित है कि उक्त पार्श्वांकित शासनादेशों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-3/2019//1285(1)/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
6- उ0 प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।